



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2013/भाद्र 14, 1935

No. 2062]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2013/BHADRA 14, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

का.आ. 2673(अ).—मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियमों अर्थात् मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का क्रमशः इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ महानगर क्षेत्र तक विस्तार किया जाए।

[फा. सं. के-14011/08/2013-एमआरटीएस-II]

बी. के. पति, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2013

S.O. 2673(E).—In exercise of the powers respectively conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby declare that the provisions of said Acts, namely, the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 shall respectively extend to the Metropolitan area of Lucknow in the State of Uttar Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. K-14011/08/2013-MRTS-II]

B. K. PATI, Under Secy.